

## भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI

IIM/20\_\_/23

## अर्जित छुट्टी/अर्घ वेतन पर छुट्टी/रुपांतरित छुट्टी/असाधारण छुट्टी एवं अवकाश यात्रा रियायत APPLICATION FOR EL/HPL/COMM. LEAVE/EOL & LTC

1.	कर्मचारी का नाम	व कोड सं. / Name o	f Employee & Code	No			
2.	पदनाम / Designation						
3.	नौकरी का प्रकार / Nature of employment						
4.	विभाग / अनुभाग / Deptt. / Section						
5.	दिनों की सं. व किस प्रकार की छुट्टी अपेक्षित है।/No. of days & type of leave required						
	अर्जित छुट्टी	आधे वेतन पर छुट्टी	रुपांतरित छुट्टी	असाधारण छुट्टी	अवकाश यात्रा रियायत	कुल	
	EL	HPL	COMM. LEAVE	EOL	LTC	TOTAL	
6.	से / From तक / To						
	छुट्टी का उद्देश्य /	/ Purpose of Leave	e				
7.	यदि छुट्टी यात्रा रियायत ले रहे हैं वयस्क :-						
	तो परिवार के सदस्यों की संख्या / संबंध तथा ब्लॉक वर्ष बताएं बच्चे :-    बालि					- बालिगनाब	ग्रालिग
	If availing LTC, state number and relation			Adults :-			
	of family members & block year			Children :- MajorMinor			
	<b>`</b>				lock Year:		
8.	अपेक्षित अग्रिम / Advance required			: हाँ / Yes नहीं / No			
	छुट्टी वेतन / Le				नहीं / No		
	छुट्टी भुनाई / Le	eave encashment		: हाँ / Yes	नहीं / No		
9.	छुट्टी के दौरान प	ता / Leave Addres	s				
10.	छुट्टी की अवधि के दौरान कक्षाएं लेने / अन्य नियत कार्य या वचन आदि पूरे करने के लिये की गई व्यवस्थाएं						
	_	es made for taking ents etc. during the	classes / other assign	nments			
11.	कोई अन्य सूचना	/ Any other infor	mation:				
	दिनांक / Date:			आवेदक के हस्ताक्षर Signature of applicant			

हस्ताक्षर/Signature	हस्ताक्षर/Signature		
पदनाम/Designation	पदनाम/Designation		
13. श्री/श्रीमती/सुश्री	निम्नलिखित के अनुसार छुट्टी के पात्र हैं।		
Shri /Smt/Kumari	is entitled for leave as under on		
<ul> <li>अर्जित छुट्टी/E.L.</li> <li>अर्ध वेतन पर छुट्टी/H.P.L.</li> <li>रुपांतरित छुट्टी/COMM. LEAVE</li> <li>असाधारण छुट्टी/ EOL</li> <li>अवकाश यात्रा रियायत/LTC</li> </ul>			
14. मंजूरीदाता प्राधिकारी के आदेश/Order of the Sa	सहा.प्रशा.अधिकारी(प्रशा.)/AAO(ADMIN) anctioning authority		
•	 हीं की गई / Leave as above sanctioned / not sanctioned.		
	प्रम अनुमोदित किया गया/Leave salary/LTC advance approved.		
• छुट्टी भुनाई अनुमोदित किया गया/Leave	e encashment approved.		
	वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी (प्रशा.व मा.सं.)/ SEO (ADMIN & HR)		
मुख्य प्रशास	निक अधिकारी/CAO		
निदेशक/DIRECTOR			
	टिप्पणी/NOTE:		
	्टी की अवधि कम से कम 30 दिन हो।		

- 2. यदि कोई अस्थाई कर्मचारी छुट्टी वेतन/अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम लेना चाहता है तो उसे स्टाफ के स्थाई कर्मचारी से जमानत बंधपत्र देना पडेगा।

A temporary employee should give a surety bond from a permanent member of staff in case he/she wishes to take leave salary/LTC advance.

- 3. यदि अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम पहले दर्जे के लिए लिया गया है और कर्मचारी दूसरे दर्जे में जाना चाहता है तो उसे छुट्टी पर जाने से पहले अग्रिम की अतिरिक्त राशि संस्थान को लौटानी होगी।
  - In case an LTC advance is drawn for class I and the employee wish to proceed by II class, the excess amount of advance must be returned to the institute prior to proceeding on leave.
- 4. अवकाश यात्रा रियायत के दावे के साथ की गई यात्रा की टिकटें / पीएनआर सं./ नकद वाउचर अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। The LTC claim must be supported by tickets/cash vouchers for the journey performed.